

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
संकल्प

कल्याण विभाग के पुनर्गठन के पश्चात विभागीय पत्रांक 3123 दिनांक 26.08.2008 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय अन्तर्गत उप निदेशक (मु०) के एक पद तथा सहायक निदेशक, कल्याण के दो पद विहार प्रशासनिक सेवा के लिए चिन्हित हैं।

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या 942 दिनांक 25.01.2010 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संघर्ग का पुनर्गठन तथा सेवा संघर्ग की संख्या और संरचना का निर्धारण किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका 4 में निहित प्रावधानों के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय अन्तर्गत सृजित उप निदेशक (मु०) का एक पद तथा सहायक निदेशक (मु०) का दो पद बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी सेवा संघर्ग के लिए चिन्हित किया जाता है।
3. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1जी०/ई०मु०स्था०-१०-२८/२०१३- १५२५ पटना, दिनांक ६/४/१३

प्रतिलिपि— _____ अधीक्षक, सचिवालय मुद्रालय, गुलजारबाग, पटना को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव। ६/४/१३

ज्ञापांक-1जी०/ई०मु०स्था०-१०-२८/२०१३- १५२५ पटना, दिनांक ६/४/१३

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। ६/४/१३

ज्ञापांक-1जी०/ई०मु०स्था०-१०-२८/२०१३- १५२५ पटना, दिनांक ६/४/१३

प्रतिलिपि— सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

६/४/१३